

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)
शंकरलाल मुतबन्ना रामनिवास आगाल (महाजन) निवासी-श्यामपुरा,

बनाम

मुरली मनोहर पिता मांगीलाल तिवाड़ी निवासी-जलीन्दी वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 513/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
11.6.24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जौच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया/प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की ग्राम-जलीन्दी, पटवार हल्का जलीन्दी, तहसील-काहीला में स्थित आराजी खसरा संख्या 884 रकबा 7.1300, आराजी खसरा संख्या 885 रकबा 1.1800 हैक्टर, आराजी खसरा संख्या 883 रकबा 0.0500 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थीया/प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थीया/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया/प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थीया/प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम-जलीन्दी, पटवार हल्का जलीन्दी, तहसील-काहीला में स्थित आराजी खसरा संख्या 884 रकबा 7.1300, आराजी खसरा संख्या 885 रकबा 1.1800 हैक्टर, आराजी खसरा संख्या 883 रकबा 0.0500 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभि. नि. क्षेत्र काछोला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार काहीला को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 11.6.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024S13/2024


दिनांक :- 11.06.2024

निमित्त

तहसीलदार डा.होला

विषय :- प्र.सं. S13/24 अनवान शंकरलाल मुतबन्ना रामनिवास आगाल (महाजन) निवासी-श्यामपुरा, बनाम मुरली मनोहर पिता मांगीलाल तिवाड़ी निवासी-जलीन्दी, श्रीकल्याण पिता कंवरलाल कराड़ निवासी-खीण्या,की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम-जलीन्दी, पटवार हल्का जलीन्दी, तहसील- डा.होला में स्थित आराजी खसरा संख्या 884 रकबा 7.1300, आराजी खसरा संख्या 885 रकबा 1.1800 हैक्टर, आराजी खसरा संख्या 883 रकबा 0.0500 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभि. नि. क्षेत्र काछोला को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 1500/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100. रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार डा.होला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)